संख्या- एम०ई०-3/2020/2481

दिनांक- 16.12.2020

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ

यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग से आवंटन/पुनरावंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रवेश के संबंध में सूचना/सामान्य निर्देश

- द्वितीय चक्र की ऑनलाईन कांउसिलिंग के माध्यम से आवंटित/पुनरावंटित (Reshuffled/upgraded seat) अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित समय–सारिणी में अंकित तिथियों पर आवंटन पत्र पर अंकित नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश की प्रकिया पूर्ण करायेगें।
- **प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोडकर नये आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।**
- प्रथम कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से पुनरांटन (Reshuffle/upgrade) हुआ है, पूर्व में अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त दी गयी शुल्क जमा किये जाने संबंधी रसीद के साथ प्रवेश हेतु आवंटन पत्र पर अंकित नोडल सेंटर पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु पुनरावंटित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क की अन्तर की धनराशि नोडल सेंटर पर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- **प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित सीट यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से पुनः आवंटित हो गयी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेंटर पर पुनः रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं पूर्व की आवंटित सीट रिटेन (Retain) नही रहेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।**
- **द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से नये आवंटित होने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र पर अंकित नोडल सेंटर पर संबंधित मेडिकल/डेंटल कालेज (निजी क्षेत्र) हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0"(*Director General, Medical Education & Training, U.P.* payable at Lucknow) के पक्ष मे देय होगा, प्रवेश के समय सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।**
- *निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रथम व द्वितीय चक्र की प्रवेश प्रकिया नोडल सेन्टर पर सम्पन्न करने के पश्चात् अभ्यर्थी प्रवेशित मेडिकल/डेण्टल कालेज में दिनांक 17.12.2020 से 21.12.2020 तक रिपोर्ट करते हुये मेडिकल/डेण्टल कालेज की शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त शुल्क जैसे–हास्टल शुल्क, सिक्योरिटी शुल्क एवं मिसलेनियस शुल्क इत्यादि जमा किया जायेगा, प्रवेशित कालेज में रिपोर्ट न करने की दशा में प्रवेश निरस्त करते हुये शिक्षण शुल्क एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।*
- *प्रथम वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ किये जाने के संबंध में पृथक से सूचना प्रदर्शित की जायेगी।*
- ***द्वितीय चक्र की काउसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया दिनांक 17.12.2020 से 20.12.2020 के मध्य सम्पन्न की जायेगी।***
- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में आवंटित/पुनरावंटित समस्त अभ्यर्थी आवंटित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रकिया निर्धारित तिथियों में सम्पन्न करायेगें।
- प्रथम/द्वितीय चक्र की काउसिलिंग से प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके मूल अभिलेख नोडल सेंटर पर जमा है, को अभ्यर्थी द्वारा अवमुक्त कराये जाने की आवश्यकता नही है। अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख कांउसिलिंग प्रकिया सामाप्त होने के उपरान्त संबंधित मेडिकल/डेंटल कालेजों को प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेंटर द्वारा सम्बन्धित कालेज को सीधे हस्तगत करा दिये जायेगें।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुसार द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग सामाप्त होने के उपरान्त प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा सीट रिक्त नही की जा सकती है।

महानिदेशक